



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



फेसबुक पर नाजायज रायफल के साथ फोटो वायरल होने पर थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुये अभियुक्त को मय रायफल व जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी व ऐसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनांक 01.07.2021 को थाना पनवाड़ी SHO श्री विजय कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु बनायी गयी टीम ने अभियान में शामिल होकर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है टीम द्वारा अभियुक्त अर्जुन पुत्र स्व0 प्रकाश राजपूत की फोटो फेसबुक आईडी पर नाजायज रायफल के साथ पुष्पेन्द्र नामक व्यक्ति के आईडी पर प्रकाशित हुई थी, जिस पर अभियुक्त को देशी ठेका शराब के पास बहद ग्राम भरवारा के पास से मय एक अदद रायफल 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 कमलेश कुमार पनवाड़ी जिला महोबा
2. का. जयदीप पटेल 3. का. आशीष कुमार थाना पनवाड़ी जिला महोबा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम / अपराध विवरण व बरामदगी -

अर्जुन पुत्र स्व प्रकाश राजपूत निवासी ग्राम भरवारा थाना पनवाड़ी जिला महोबा उम्र 22 वर्ष सम्बन्धित मु.अ.सं. मु0अ0सं0 145/2021 धारा 3/25 A ACT

बरामदगी -

एक अदद नाजायज देशी रायफल 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 185/2021 धारा 366/376/374/506 भादवि में नामजद वांछित आरोपी अभियुक्त संजय अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र 23 वर्ष को छंगा तिराहे से गिरफ्तार किया गया व बाद आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0 नि0 राजेश मिश्रा
2. रि0कां0 शुभम जयसवाल
3. रि0कां0 लव कुमार

गिरफ्तारी का स्थान...

छंगा तिराह कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

संजय अहिरवार पुत्र गंगाराम अहिरवार उम्र 23 वर्ष नि0 मरगायां थाना कदौरा जिला जालौन





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु मतदान कल - पुलिस अधीक्षक महोबा ने स्थलीय निरीक्षण कर परखी सुरक्षा व्यवस्था...

महोबा शहर में कल दिनांक 03.07.2021 दिन शनिवार को जिला पंचायत महोबा के अध्यक्ष पद हेतु मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट परिसर में होना सुनिश्चित है, जिसके क्रम में आज दिनांक 02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुये सख्त निर्देश देते हुये कहा गया कि कल मतदान के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास ज्यादा भीड़ रहने का अनुमान है इस दौरान सभी वाहनों के लिये रुट डायवर्जन सख्ती के साथ किया जाये, बेवजह जाम की स्थित उत्पन्न न होने पाये, चिन्हित स्थानों पर बैरियर लगा लिये जाये व सुरक्षा सम्बन्धी अन्य सभी इन्तजाम समय से पूरे कर लिये जाये।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने पुलिस प्रबन्ध की तैयारी के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा है कि कल होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु मतदान/मतगणना की प्रक्रिया को सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के तहत जनपदीय पुलिस के 100 जवान, 02 प्लाटून पीएसी, 06 थाना प्रभारियों की ड्यूटी समस्त क्षेत्राधिकारीगण व अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगायी गयी है जो सुदृढ़ व्यवस्था के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण चुनाव को सम्पन्न करायेंगे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



एण्टीरोमियो टीम ने अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक...।

आज दिनांक 02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से एण्टी रोमियो स्क्वाड म0उ0नि0 शिल्पी शुक्ला, महिला थाना के नेतृत्व में टीम ने ग्राम बिलवई व ग्राम मांगरिया में जाकर वहां उपस्थित सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक किया गया, जिसमें उ0नि0 शिल्पी शुक्ला ने जागरूक करते हुये कहा कि सभी बालिकायें/महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहें आज के समय में बालिकायें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है आप अपनी शक्ति को पहचाने इसी क्रम में कहा कि स्कूल या बाजार में आते जाते समय हमेशा सतर्क रहें और रास्ते में यदि कोई आपका पीछा करता है या कोई अपशब्द/अश्लील बातें या फब्तियां कसता है तो आप सभी को अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति जागरूक होकर तत्काल असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हेल्पलाइन नम्बरों- 112, 1090, 1076 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें या फिर पुलिस के ट्वीटर हैंडल [@mahobapolic](https://twitter.com/mahobapolic) का भी प्रयोग कर शिकायत दर्ज कराते हुये शोहदों को उनका सबक सिखायें इसी क्रम में सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हे साइबर अपराध एवं महिला कानूनो की भी जानकारी भी दी जा रही है।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 02.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा किया गया पैदल गस्त एवं प्रभारी महिला पुलिस चौकी द्वारा बालिकाओं/महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक



आज दिनांक 02.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के धार्मिक-स्थल, मुख्य बाजार, होटल, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की भी चेकिंग की गई एवं लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया।

उ०नि० नीलम यादव प्रभारी महिला पुलिस चौकी, चरखारी मय फोर्स के कस्बा चरखारी में पैदल गस्त करके बालिकाओं/महिलाओं से वार्ता की गई एवं किसी भी समस्या पर तुरन्त हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करने को कहा गया एवं कोरोना के दृष्टिगत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत दी गई।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **25 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **12 व्यक्तियों से 1900/-₹0 शुल्क वसूला गया।**

